(127)

CF 7-56

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० १६४ पुनरीक्षण

१- हर प्रसाद
२- गिरधारी
} पुत्रगण किशना लोधी

निवासीगण ग्राम बडोरा तहसील करेरा जिला शिवपुरी ----- आवेदकगण

विरुद्ध

१- कमलसिंह पुत्र हड्डीलाल लोधी निवासी ग्राम बडेरा तहसील करेरा जिला शिवपुरी

२- मध्य प्रदेश शासन ----- अनावेदकगण

RN/S-4/R/175/94

अपर बन्दोबस्त आयुक्त मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक ३२/८७-८८ अपील में पारित आदेश दिनांक १६-८-६३ के पुनरीक्षण हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा ५० मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता १६५६

महोदय,

आवेदकगण का आवेदन-पत्र निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

(१) यह कि अपर बन्दोबस्त आयुक्त का आदेश अवैध तथा अभिलेख के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(२) यह कि अपर बन्दोबस्त आयुक्त ने बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश को निरस्त करने हेतु जो आधार विवादित आदेश में उल्लिखित किये हैं वे अत्यंत अस्पष्ट हैं ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 175/94 जिला–शिवपुरी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 पूर्व से ही एकपक्षीय है। अनावेदक क्र0 2 शासकीय पैनल अभिभाषक श्री जादौन उपस्थित । प्रकरण ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया । 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा अपर बन्दोबस्त आयुक्त के प्रकरण क्रमांक 32/87–88/अपील में पारित आदेश दिनांक 19.08.93 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि बन्दोबस्त अधिकारी के न्यायालय में आवेदक ने अपीलीय आवेदन में मांग की है कि वह सर्वे क्रमांक 1732/2 से निर्मित भूखण्ड क्रमांक 544 का भूमि स्वामी है । बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान उक्त भूखण्ड अनावेदक को दे दिया गया । इससे यह स्पष्ट है कि आवेदक वादग्रस्त भूखण्ड क्रमांक 544 पर अपना स्वत्व, आराजियों में चाहता था पर भूखण्ड क्रमांक 1732/2 कुल क्षेत्रफल 1.045 का	

स्वत्वधारी है । चूँकि पटवारी अभिलेख में भूखण्ड क्रमांक 1732/2 की पृथक–पृथक बटांकन नहीं थे तथा निर्माण के समय स्थल पर वादग्रस्त भूमि के अधिकांश भाग के पड़त होने के कारण स्वत्व के अनुसार काल्पनिक सीमायें स्थापित कर वादग्रस्त भूमि व स्वत्वधारियॉ का निर्माण किया गया। वदग्रस्त भूमि का 0.38 है0 भाग वास्तविक आधिपत्य के रूप में उक्त भूखण्ड क्रमांक 552 में शासन होकर आवेदक के पास था, जो यथावत है, शेष पड़त भूखण्ड में से निर्मित किये गये उक्त भूखण्ड 544 क्षेत्रफल 0.66 है0 से आवेदक अपने शेष क्षेत्रफल की पूर्ति चाहता है तथा कब्जा होने के तर्क का खडंन भी नहीं करता । बन्दोबस्त अधिकारी ने अपने प्रकरण में भूखण्ड क्रमांक 554 के दो भाग कर आवेदक के शेषफल की पूर्ति जो वह 544 से चाहता था उसमें 554/1 स्थापित कर दी गई है । वादग्रस्त भूमि के भूखण्ड क्र0 544 पर अनावेदक अपना नाम चाहता है तथा उसके स्वत्व क्षेत्रफल की पूर्ति भी इस भूखण्ड से हो जाती है। जैसा कि आवेदक ने अपनी प्रथम अपील में कहा है कि भूखण्ड क्रमांक 544 उसके स्वत्व की है तथा सहायक अनुभाग अधिकारी ने उस पर अनावेदक का नाम अंकित कर दिया है । बन्दोबस्त अधिकारी को इसी भूखण्ड के स्वत्व एवं कब्जे की जांच कर आदेश पारित करना था । भूखण्ड क्र0 554 का स्वत्व एवं कब्जा निर्विवाद था । उसके भाग का आवेदक की असहमति से उनके स्वत्व की पूर्ति

करना उचित नहीं माना जा सकता । ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के संबंध में बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश से सहमत होना कठिन है । अपर बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर ने बन्दोबस्त अधिकारी के द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर जो आदेश पारित किया है वह उचित है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश 19.08.93 यथावत रखा जाता है एवं कलेक्टर, शिवपुरी को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। पक्षकार चाहे तो अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य